

तारीख हुक्म	न्यायालय-विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) सीकर विशिष्ट प्रकरण संख्या- 253/2023 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम रामू आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.04.2026	1. श्री सांवरमल बिजारणियां, विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण रामू व मोहम्मद शाहरुख वरजमानत अनुपस्थित की हाजरी माफी के आवेदन जरिये अधिवक्तागण श्री फैसल खां व श्री ताराचन्द यादव पेश हुए जो आज के लिए स्वीकार किए जाते हैं। 2. साक्ष्य अभियोजन गवाह कोई उपस्थित नहीं है। गवाहान को निम्नानुसार तलब किया जावे :- (1) दिनांक 13.05.2026 हेतु गवाह संख्या 1 व 2 को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रुपये से, (2) दिनांक 14.05.2026 हेतु गवाह संख्या 3 व 4 को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रुपये से तथा (3) दिनांक 18.05.2026 हेतु गवाह संख्या 5 व 6 को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रुपये से तलब किया जावे। 5. पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु सर्वप्रथम दिनांक 13.05.2026 को पेश हो।  विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एकट प्रकरण सीकर (राज.)	